

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय विभाग, भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

(मृतल "घ" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल, दूरभाष-0755-2551594, फॅक्स-0755-4285218, ई-मेल: cephbpl@nic.in)

क्रमांक/ 219 /स्था.-343/मु.अ./लो.स्वा.यॉ.वि./16

भोपाल, दिनांक.01.06-2016

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक 30.05.2016 को छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नांकित शासकीय कर्मचारियों की सेवा में रहते हुये आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप उनके पुत्र/पुत्री/पति को नियमित स्थापना में रिक्त भृत्य, के पद पर वेतनमान रुपये 1-5 रुपये 4440-7440 + ग्रेड पे 1300/- पर न्यूनतम रुपये 4750+1300 ग्रेड-पे एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों पर अस्थाई तौर पर कार्यग्रहण करने के दिनांक से अधोलिखित शर्तों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-


क्र.	स्वर्गीय कर्मचारी का नाम एवं कार्यालय का नाम	मृत्यु दिनांक	अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदक का नाम	जाति	उल्लेखित पद का आरक्षण	पद	अनुकंपा नियुक्ति में पदस्थापना का कार्यालय
1	स्व.श्री राधेकिशन गायकवाड़, भृत्य, राज. परि.खण्ड-2, भोपाल	24.07.2014	श्री अजय गायकवाड़	अ.जा.	अ.जा.	भृत्य	नर्मदापुरम मण्डल होशंगाबाद
2	स्व.श्री रामकिशन घेंघट, लाईनमेन, खण्ड विदिशा	06.09.2014	श्री अमन घेंघट	अ.जा.	अ.जा.	भृत्य	नर्मदा परि.खण्ड-2, शाहगंज
3	स्व.श्री वासुदेव इंगले, भृत्य, राज.परि.खण्ड-2, भोपाल	06.11.2014	श्री राजेश इंगले	अ.जा.	अनारक्षित	भृत्य	खण्ड सीहोर
4	स्व.श्री शम्भूनाथ मारण, चौकीदार, अनुरक्षण खण्ड भोपाल	28.01.2015	श्री मनफूल मारण	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	भृत्य	खण्ड सीहोर
5	स्व.श्री रम्मूलाल गौंड, पंप अटेंडेंट, राज.परि. खण्ड-2, भोपाल	16.03.2015	श्रीमती सुरेखा बाई	सामान्य	अनारक्षित	भृत्य	राज.परि.खण्ड-2, भोपाल

नियुक्ति की शर्त :-

1. नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के अंतर्गत मान्य होगी ।
2. म.प्र.शासकीय सेवा (अस्थायी एवं अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।


निरंतर-2

3. प्रार्थी को कार्यभार ग्रहण करने पर जाति संबंधी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (केवल अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु), शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी संबंधी दस्तावेज (प्रमाण पत्र/अंक सूची आदि) की मूल प्रतियाँ अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट साथ प्रस्तुत करना होगी ।
4. मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय विभाग, (अराजपत्रित सेवा) की शर्तें तथा भर्ती नियम 1976 के नियम 18 के अनुसार यह नियुक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी।
5. कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
6. प्रार्थी को 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा ।
7. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 1/एफ-9/3/ 2003/नियम-चार/भोपाल दिनांक 13.4.05 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी ।
8. प्रार्थी को नियुक्ति स्थल तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
9. शासन के नियमानुसार इन अनुकंपा नियुक्तियों में शासन के नवीन रोस्टर का पालन किया गया।
10. म.प्र.शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील होगी।


(सी.एस.संकुले)
मुख्य अभियंता

पृ.क्रमांक/...1832.../स्था.-343 /मु.अ./लो.स्वा.यॉ.वि./16, परिक्षेत्र भोपाल, दिनांक ...01-06-2016
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मण्डल भोपाल/नर्मदा परियोजना मण्डल भोपाल/नर्मदापुरम मण्डल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
8. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी, खण्ड
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आप कर्मचारियों की उपस्थिति के समय उनके द्वारा मूल प्रमाण पत्रों का भलिभांति परीक्षण किए जाने के पश्चात ही कार्य ग्रहण कराएं।
4. श्री/श्रीमती/कु0.....
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
5. आदेश नस्ती ।


मुख्य अभियंता

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय विभाग, भोपाल परिक्षेत्र भोपाल
(भूतल 'घ' विंग, सतपुड़ा मवन, भोपाल, दूरभाष-0755-2551594, फ़ैक्स-0755-4285218, ई-मेल: cephbpl@nic.in)

क्रमांक / 278 / स्था.-343 / मु.अ. / लो.स्वा.यॉ.वि. / 16
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 01-06-2016

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक 30.05.2016 को छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नांकित शासकीय कर्मचारियों की सेवा में रहते हुये आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप उनके पुत्र/पुत्री/पत्नि को नियमित स्थापना में रिक्त सफाई कामगार, के पद पर वेतनमान रुपये 1-5 रुपये 4440-7440 + ग्रेड पे 1300/- पर न्यूनतम रुपये 4750+1300 ग्रेड-पे एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों पर अस्थाई तौर पर कार्यग्रहण करने के दिनांक से अधोलिखित शर्तों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क.	स्वर्गीय कर्मचारी का नाम एवं कार्यालय का नाम	मृत्यु दिनांक	अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदक का नाम	जाति	उल्लेखित पद का आरक्षण	पद	अनुकंपा नियुक्ति में पदस्थापना का कार्यालय
1	स्व.श्री सुनील मेरवे, कामगार, राज.परि.खण्ड-2, भोपाल	15.12.2013	श्रीमती कमलेश बाई	अ.जा.	अ.जा.	सफाई कामगार	राज.परि.खण्ड-2, भोपाल

नियुक्ति की शर्त :-


1. नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के अंतर्गत मान्य होगी ।
2. म.प्र.शासकीय सेवा (अस्थायी एवं अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।
3. प्रार्थी को कार्यभार ग्रहण करने पर जाति संबंधी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (केवल अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु), शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी संबंधी दस्तावेज (प्रमाण पत्र/अंक सूची आदि) की मूल प्रतियाँ अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट साथ प्रस्तुत करना होगी ।
4. मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय विभाग, (अराजपत्रित सेवा) की शर्त तथा भर्ती नियम 1976 के नियम 18 के अनुसार यह नियुक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी।
5. कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
6. प्रार्थी को 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा ।



निरंतर-2


//2//

7. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 1/एफ-9/3/ 2003/नियम-चार/भोपाल दिनांक 13.4.05 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
8. प्रार्थी को नियुक्ति स्थल तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. शासन के नियमानुसार इन अनुकंपा नियुक्तियों में शासन के नवीन रोस्टर का पालन किया गया।
10. म.प्र.शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील होगी।


(सी.एस.संकुले)
मुख्य अभियंता

पृ.क्रमांक/...1831.../स्था.-343 /मु.अ./लो.स्वा.यॉ.वि./16, परिक्षेत्र भोपाल, दिनांक 01-06-2016
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल मण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राज.परि.खण्ड क.-2, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आप कर्मचारियों की उपस्थिति के समय उनके द्वारा मूल प्रमाण पत्रों का भलिभांति परीक्षण किए जाने के पश्चात ही कार्य ग्रहण कराएं।
5. श्रीमती कमलेश बाई पता इन्द्रा नगर कॉलोनी मछली मार्केट (बैरागढ़) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. आदेश नस्ती।


मुख्य अभियंता

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय विभाग, भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

(मृतल "ध" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल, दूरभाष-0755-2551594, फैक्स-0755-4285218, ई-मेल cephbpl@nic.in)

क्रमांक/ 279 /स्था.-343/मु.अ./लो.स्वा.यो.वि./ 16

भोपाल, दिनांक.01.06.2016

//आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-12/2013/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में निहित प्रावधान अनुसार दिनांक 30.05.2016 को छानबीन समिति की अनुशंखा अनुसार निम्नांकित शासकीय कर्मचारियों की सेवा में रहते हुये आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप उनके पुत्र/पुत्री/पति को नियमित स्थापना में रिक्त भृत्य, के पद पर वेतनमान रूपये 1-5 रूपये 4440-7440 + ग्रेड पे 1300/- पर न्यूनतम रूपये 4750+1300 ग्रेड-पे एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों पर अस्थाई तौर पर कार्यग्रहण करने के दिनांक से अधोलिखित शर्तों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-


क्र.	स्वर्गीय कर्मचारी का नाम एवं कार्यालय का नाम	मृत्यु दिनांक	अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदक का नाम	जाति	उल्लेखित पद का आरक्षण	पद	अनुकंपा नियुक्ति में पदस्थापना का कार्यालय
1	स्व.श्री राघेकिशन गायकवाड़, भृत्य, राज. परि.खण्ड-2, भोपाल	24.07.2014	श्री अजय गायकवाड़	अ.जा.	अ.जा.	भृत्य	नर्मदापुरम मण्डल होशंगाबाद
2	स्व.श्री रामकिशन घेंघट, लाईनमेन, खण्ड विदिशा	06.09.2014	श्री अमन घेंघट	अ.जा.	अ.जा.	भृत्य	नर्मदा परि.खण्ड-2, शाहगंज
3	स्व.श्री वासुदेव इंगले, भृत्य, राज.परि.खण्ड-2, भोपाल	06.11.2014	श्री राजेश इंगले	अ.जा.	अनारक्षित	भृत्य	खण्ड सीहोर
4	स्व.श्री शम्भूनाथ मारण, चौकीदार, अनुरक्षण खण्ड भोपाल	28.01.2015	श्री मनफूल मारण	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	भृत्य	खण्ड सीहोर
5	स्व.श्री रम्मूलाल गौंड, पंप अटेंडेंट, राज.परि. खण्ड-2, भोपाल	16.03.2015	श्रीमती सुरेखा बाई	सामान्य	अनारक्षित	भृत्य	राज.परि.खण्ड-2, भोपाल

नियुक्ति की शर्त :-

1. नियुक्ति पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन के अंतर्गत मान्य होगी ।
2. म.प्र.शासकीय सेवा (अस्थायी एवं अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी । संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन एवं भत्ते भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।


निरंतर-2

3. प्रार्थी को कार्यभार ग्रहण करने पर जाति संबंधी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (केवल अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु), शैक्षणिक योग्यता, मूल निवासी संबंधी दस्तावेज (प्रमाण पत्र/अंक सूची आदि) की मूल प्रतियाँ अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट साथ प्रस्तुत करना होगी ।
4. मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यंत्रिकीय विभाग, (अराजपत्रित सेवा) की शर्तें तथा भर्ती नियम 1976 के नियम 18 के अनुसार यह नियुक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी।
5. कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
6. प्रार्थी को 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा ।
7. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 1/एफ-9/3/ 2003/नियम -चार/भोपाल दिनांक 13.4.05 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी ।
8. प्रार्थी को नियुक्ति स्थल तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
9. शासन के नियमानुसार इन अनुकंपा नियुक्तियों में शासन के नवीन रोस्टर का पालन किया गया।
10. म.प्र.शासन के प्रचलित नियमानुसार अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील होगी।


 (सी.एस.संकुले)
 मुख्य अभियंता

पृ.क्रमांक/...1832.../स्था.-343 /मु.अ./लो.स्वा.यॉ.वि./16, परिक्षेत्र भोपाल, दिनांक 01-06-2016
 प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग भोपाल मण्डल भोपाल/नर्मदा परियोजना मण्डल भोपाल/नर्मदापुरम मण्डल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
8. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी, खण्ड
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आप कर्मचारियों की उपस्थिति के समय उनके द्वारा मूल प्रमाण पत्रों का भलिभाति परीक्षण किए जाने के पश्चात ही कार्य ग्रहण कराएं।
4. श्री/श्रीमती/कु0.....
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
5. आदेश नस्ती ।


 मुख्य अभियंता